प्रारूप -- एक
(नियम 11 देखिये)

# कार्यालय कलेक्टर जिला धमतरी एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

## -:: अधिसूचना ::-

क्रमांक 3316 /भू-अर्जन/2018 धमतरी, दिनांक 10/04/2018

भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अन्तर्गत नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है अर्थात् :-

| जिला | तहसील | ग्राम/नगर | क्षेत्रफल | लोक प्रयोजन का विवरण |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| धमतरी | कुरूद | भखारा | 2.34 हेक्टेयर | भखारा बायपास मार्ग निर्माण |

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 27/04/2018 को प्रातः 11.00 बजे सामुदायिक भवन पटेल पारा - भखारा, तहसील कुरूद में नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण | : | भखारा बायपास मार्ग निर्माण। |
| 2 | प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या | : | 15 |
| 3 | अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या | : | निरंक। |
| 4 | प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या | : | निरंक। |
| 5 | प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या | : | निरंक। |
| 6 | क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? | : | हॉ। |
| 7 | क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ? | : | हॉ। |
| 8 | परियोजना की कुल लागत | : | 11.48 करोड़ |
| 9 | परियोजना से होने वाला लाभ | : | आवागमन में सुविधा तथा दुर्घटनाओं में कमी होगी। |
| 10 | प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय | : | प्रस्तावित समाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति हेतु उपाय किये जा रहें है तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरूद की मांग अनुसार राशि जमा की जावेगी। |
| 11 | परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक | : | निरंक। परियोजना से प्रभावित भूमि ग्राम भखारा का खसरा क्रमांक 1631, 1647, 1650, 1648, 1649, 1654/3, 1655, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1679/1976, 1693/2, 1693/4, 1693/3, कुल खसरा 16, कुल रकबा 2.34 हेक्टेयर। |

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।

C.R. Pr 10/4

(डॉ.सी.आर.प्रसन्ना)
कलेक्टर जिला धमतरी
एवं पदेन संयुक्त सचिव,
छत्तीसगढ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग